न्यायालयः— अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मकराना
जिला डीडवाना—कुचामन

ब्रउनवान—शौकत अली व अन्य बनाम मुख्त्यार अहमद व अन्य
किस्म— दीवानी मूल नंबर—62/16, 53/16 क.न.—91/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
25-11-25	वादीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता वादीगण द्वारा दिनांक 20.11.2025 को पेश आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के संबंध में बहस सुनी गई जिसका निस्तारण किया जा रहा है। अधिवक्ता वादीगण ने प्रार्थना पत्र के संबंध में निवेदन किया कि वादी संख्या 11 नवाब अली पुत्र गेन्दा का स्वर्गवास दिनांक 01.11.2025 को हो चुका है जिसके कायम मुकामान के रूप में वारिसान पत्नि रिहाना, पुत्र फिरोज खान, मोहम्मद आसिफ, पुत्रियां हीना बानो, दिलशाद व शबनम को रिकॉर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में निवेदन किया कि वकील वादी संख्या 11 नवाब अली की मृत्यु हो जाने पर उसके वारिसान के रूप में महिलाओं को अधिकार प्राप्त नही होने से वारिसान नही बनाया जा सकता है अतः उक्त प्रार्थना पत्र मय हर्जे खारिज किए जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया। जहां तक कि वादीगण अधिवक्ता ने आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के संबंध में दौराने बहस वादी संख्या 11 नवाब अली के वारिसान जो प्रार्थना पत्र में वर्णित है, को रिकॉर्ड पर लिए जाने का कथन किया इस संबंध में अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने महिलाओ को अधिकार प्राप्त नही होने से वारिसान बनाए जाने पर विरोध प्रकट किया। न्यायालय द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का	

अपर जिला न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना—कुचामन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम इस की मे जारि
	अवलोकन किया गया एवं साथ संलग्न नवाब अली के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति का अवलोकन किया गया जिससे प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि नवाब अली की दिनांक 01.11.2025 को मृत्यु हो चुकी है जिसकी मृत्यु की तारीख के संबंध में कोई विवाद पक्षकारान के मध्य नही है। चूंकि अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने नवाब अली के वारिसान के रूप में महिलाओ को वारिसान बनाए जाने पर आपत्ति जाहिर की इस बाबत उक्त तथ्य हस्तगत प्रकरण में दोनो पक्षो की साक्ष्य पत्रावली पर आने के पश्चात ही तय किया जा सकेगा अतः अधिवक्ता वादीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी संख्या 11 नवाब अली के वारिसान के रूप में पत्नि रिहाना को 11/1, पुत्र फिरोज खान, मोहम्मद आसिफ को 11/2 लगायत 11/3 एवं पुत्रियां हीना बानो, दिलशाद व शबनम को क्रमशः 11/4 लगायत 11/6 के रूप में रिकॉर्ड पर लिए जाते है। पत्रावली वास्ते पेश होने संशोधित शीर्षक/साक्ष्य वादी दिनांक 27/11/2025 को पेश हो। अपर जिला न्यायाधीश मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन	